

कार्यालय, मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

Delhi, the 4th December, 2008

आदेश

दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2008

सं. फा. 10 (340) मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/2033.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री वन 97 कम्युनिकेशन प्रा. लि. पहली मंजिल, देविका टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,01,26,960 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1,88,94,243 से 2,09,06,938 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 20,127 (रुपये बीस हजार एक सौ सत्ताईस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY

ORDERS

Delhi, the 1st December, 2008

No.F. 10(340)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2033.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. One 97 Communications Private Limited, First Floor, Devika Tower, Nehru Place, New Delhi-110019 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 20,127 (Rs. Twenty Thousand One Hundred Twenty Seven) only on the aggregate value of shares of Rs. 2,01,26,960 for equity share certificates with distinctive Nos. 1,88,94,243 to 2,09,06,938 be issued by the said company.

दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2008

सं. फा. 10 (401) मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/2072.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं.का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री ग्लोबल ऑटो-पार्ट्स एलायन्स इंडिया प्रा. लि., 28, न्यू मंगला पुरी, महरोली, नई दिल्ली-110030, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 13,40,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 5,36,00,001 से 6,70,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,34,000 (रुपये एक लाख चौतीस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No.F. 10(401)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2072.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Global Auto-Parts Alliance India Private Limited, 28, New Mangla Puri, Mehrauli, New Delhi-110030 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,34,000 (Rs. One Lac Thirty Four Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 13,40,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 5,36,00,001 to 6,70,00,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (406) मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/2073.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं.का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री नाइन डोट नाइन मिडिया वर्क्स प्रा. लि., एन-154, पंचशील पार्क, नई दिल्ली-110017, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 34,50,33,183 मूल्य के प्रिफरेंस शेयरों जिनकी पृथक संख्या पी. 0400001 से पी.492527 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 3,45,034 (रुपये तीन लाख पैंतालीस हजार चौतीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No.F. 10(406)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2073.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. NINE DOT NINE MEDIA WORX PRIVATE LIMITED, N-154, Panchsheel Park, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3,45,034 (Rs. Three Lac Forty Five Thousand Thirty four) only on the aggregate value of shares of Rs. 34,50,33,183 for preference share certificates with distinctive Nos. P0400001 to P492527 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (360) मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/2074.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं.का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पंजाब एण्ड सिंध बैंक, 21, बैंक हाउस, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 400,00,00,000 मूल्य के अनसेक्योरड नान-कनवरटीबल सबॉडिनेटेड लोवर टियर II बॉण्ड्स जो कि (प्रोमोजरी नोट) के रूप में है जिनकी पृथक संख्या 1 से 4000 (सीरीज-X) है, पर लगने वाले मुद्रांक

शुल्क रुपये 1,23,00,000 (रुपये एक करोड़ तेइस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No.F. 10(360)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2074.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Punjab & Sind Bank, 21, Bank House, Rajendra Place, New Delhi-110008, shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,23,00,000 (Rs. One Crore Twenty Three Lac) only the aggregate value of shares of Rs. 400,00,00,000 for unsecured non-convertible subordinated lower tier II bonds Series X in the nature of promissory note with distinctive Nos. 1 to 4000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (357) मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/2075.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री शैल बिटुमेन इंडिया प्रा. लि., 8-ई, हंसालया, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 10,46,16,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 3,35,50,478 से 4,40,12,077 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,04,616 (रुपये एक लाख चार हजार छः सौ सौलह) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No.F. 10(357)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2075.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Shell Bitumen India Private Limited, 8-E, Hansalaya, Barakhamba Road, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,04,616 (Rs. One Lac Four Thousand Six Hundred Sixteen) only on the aggregate value of shares of Rs. 10,46,16,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 3,35,50,478 to 4,40,12,077 be issued by the said company.

दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2008

सं. फा. 10 (405) मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/2115.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं.का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इंडिया इनफ्रास्ट्रक्चर फाईनेंस कम्पनी लि., 1201-1207, नौरंग हाउस, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली, द्वारा जारी किए जाने

वाले रुपये 200,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयर जिनकी पृथक संख्या 80,00,00,001 से 100,00,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 20,00,000 (रुपये बीस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 8th December, 2008

No.F. 10(405)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2115.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. India Infrastructure Finance Company Limited, 1201-1207, Navrang House, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 20,00,000 (Rs. Twenty Lac) only on the aggregate value of shares of Rs. 200,00,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 80,00,00,001 to 100,00,00,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10(402) मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/2116.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं.का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री गेटवे रेल फ्रंट लि., 17, अहलुवालिया चैम्बर्स, ग्राउंड फ्लोर, एल.एस.सी. पुष्प विहार, नई दिल्ली-110062, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 74,35,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 12,56,50,001 से 20,00,00,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 7,43,500 (रुपये सात लाख तैंतालीस हजार पाँच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No.F. 10(402)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2116.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Gateway Rail Freight Limited, 17, Ahluwalia Chambers, Ground Floor, L.S.C., Pushp Vihar, New Delhi-110062 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 7,43,500 (Rs. Seven Lac Forty Three Thousand Five Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 74,35,00,000 for equity share certificates with distinctive Nos. 712,56,50,00 to 20,00,00,000 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (409) मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/2117.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं.का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय

राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कोबोल टेक्नोलोजिज प्रा. लि., 63, रिंग रोड, लाजपत नगर, नई दिल्ली-110024, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,44,54,000 मूल्य के फुल्ली कनवर्टीबल, डिबेन्चर ट्रांसफरेबल बाई डिलीवरी जिनकी पृथक संख्या 5,31,127 से 5,55,580 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 61,135 (रुपये इकसठ हजार एक सौ पैंतीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No.F. 10(409)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2117.--In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Cobol Technologies Private Limited, 63, Ring Road, Lajpat Nagar, New Delhi-110024 shall pay a consolidated stamp duty of Rs.61,135 (Rs. Sixty One Thousand One Hundred Thirty Five) only on the aggregate value of debentures of Rs. 2,44,54,000 for issue of fully Convertible transferable by delivery with distinctive Nos. 5,31,127 to 5,55,580 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (408) मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/2118.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं.का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री पी.वी. टेक्नोलोजीस इंडिया लि., 43बी, ओखला इंडस्ट्रीयल इस्टेट, नई दिल्ली-110020, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 3,59,72,42,320 मूल्य के इक्विटी शेयर जिनकी पृथक संख्या 17,77,92,501 से 53,75,16,732 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 35,97,243 (रुपये पैंतीस लाख सत्तानबे हजार दो सौ तैंतालीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No.F. 10(408)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2118.--In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. PV Technologies India Limited, 43-B, Okhla Industrial Estate, New Delhi-110020 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 35,97,243 (Rs. Thirty Five Lac Ninety Seven Thousand Two Hundred Forty Three) on the aggregate value of shares of Rs. 3,59,72,42,320 for equity Share certificates with distinctive Nos. 177792501-537516732 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (403) मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/2119.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं.का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1)

के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सीटक इंडिया प्रा. लि., डी-18, पहली मंजिल, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली-110024, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 2,40,68,040 मूल्य के शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 40,178 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 24,069 (रुपये चौबीस हजार उनहत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No.F. 10(403)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2119.--In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. SITQ India Private Limited, D-18, First Floor, Defence Colony, New Delhi-110024 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 24,069 (Rs. Twenty Four Thousand Sixty Nine) on the aggregate value of shares of Rs. 2,40,68,040 for equity Share certificates with distinctive Nos. 10,001 to 40,178 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (407) मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/2120.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं.का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सीपीए ग्लोबल सर्विसेज प्रा. लि., दूसरी मंजिल, 1/3, सर गंगा राम होस्पिटल मार्ग, ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 4,67,51,940 मूल्य के इक्विटी शेयर जिनकी पृथक संख्या 01 से 46,75,194 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 46,752 (रुपये छियालीस हजार सात सौ बावन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

No.F. 10(407)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2120.--In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. CPA Globle Services Private Limited, 2nd Floor, 1/3, Sir Ganga Ram Hospital Marg, Old Rajinder Nagar, New Delhi-110060 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 46,752 (Rs. Forty Six Thousand Seven Hundred Fifty Two) on the aggregate value of shares of Rs. 4,67,51,940 for equity Share certificates with distinctive Nos. 01 to 46,75,194 be issued by the said company.

दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2008

सं. फा. 10 (410) मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/2132.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं.का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक

शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निदेश देते हैं कि सर्वश्री क्विपो टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., डी-2, साउदर्न पार्क, पांचवी मंजिल, साकेत, नई दिल्ली-110017, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 308,69,52,687 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,00,00,001 से 16,93,95,999 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 30,86,953 (रुपये तीस लाख छयासी हजार नौ सौ तिरपन) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 10th December, 2008

No.F. 10(410)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2132.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Quippo Telecom Infrastructure Limited, D-2, Southern Park, 5th Floor, Saket, New Delhi-110017 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 30,86,953 (Rs. Thirty Lac Eighty Six Thousand Nine Hundred Fifty Three) on the aggregate value of shares of Rs. 308,69,52,687 for equity Share certificates with distinctive Nos. 10,00,00,001 to 16,93,95,999 be issued by the said company.

सं. फा. 10 (400) मु. स. (मुख्या)/स.शु./08/2139.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं.का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के

खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निदेश देते हैं कि सर्वश्री प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लि., हिमाद्री राजघाट पावर हाउस कम्पलेक्स, नई दिल्ली-110002, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 1100,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 32,41,90,000 से 142,41,90,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 1,10,00,000 (रुपये एक करोड़ दस लाख) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव

No. F. 10(400)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/2139.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Pragati Power Corporation Limited, Himadri, Rajghat Power House Complex, New Delhi-110002 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,10,00,000 (Rs. One Crore Ten Lac) on the aggregate value of shares of Rs. 1100,00,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 32,41,90,001 to 142,41,90,000 be issued by the said company.

By Order
Of Chief Controlling Revenue Authority
Govt. National Capital Territory of Delhi,
VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)